20.09.2022

अभियुक्त जरिये विद्वान अधिवक्ता द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंकित किये गए, जिसमें अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारा गया। पूर्व में अभियुक्त के विरूद्ध धारा–179, 194बी एम0वी0एक्ट में संज्ञान लिया गया।

अभियुक्त द्वारा वाहन से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्त को धारा– 179, 194बी एम0वी0एक्ट में दण्डित किया जाता न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त को घारा–179 में मु0 400/–रूपये जुर्माने के दण्ड तथा दण्ड अदा न करने पर 01 दिन के साधारण कारावास के दण्ड तथा घारा–194बी में मु0 1000/–रूपये जुर्माने के दण्ड तथा दण्ड अदा न करने पर 03 दिन के साधारण कारावास के दण्डसे दण्डित किया जाता है।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज
टनकपुर, चम्पावत।